

राजस्थान सरकार  
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.12(4)नवि/मूलसागर(जैसलमेर)/2025-15860 जयपुर, दिनांक : यथा ई-हस्ताक्षर

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार न्यास अधिनियम 1959 (राजस्थान अधिनियम संख्या 35 सन् 1959) की धारा 38 की उपधारा (1) द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार नगर विकास न्यास, जैसलमेर की “द गोल्डन ओएसिस” फार्म हाऊस योजना को अनुमोदित किया जाता है। उक्त योजना का विकास कार्य एवं निष्पादन अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से 5 वर्ष की अवधि के भीतर किया जावेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(रवि विजय)  
शासन उप सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, मंत्री, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
5. जिला कलक्टर, जैसलमेर।
6. सचिव, नगर विकास न्यास, जैसलमेर।
7. वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर।
8. आयुक्त, नगर परिषद्, जैसलमेर।
9. प्रोग्रामर/सहायक निदेशक, नगरीय विकास विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाने जाने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
10. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव-प्रथम

Signature Not Verified

Digitally Signed by Ravi Vijay  
Designation : Deputy  
Secretary To Government  
Date :30-07-2026 10:36:00

RajKaj Ref No.:  
23450649